



RANCHI MUNICIPAL CORPORATION

Kutchury, Ranchi - 834001

Contact No. : 0651-2211215, email : support@ranchimunicipal.com

Website : www.ranchimunicipal.com

License No. : RMC/LE 0012 /2017

Ltr. No. / /

Date : / / 891
5/3/17

Mr./Mrs./Miss/M/s . **SANTOSH JAISWAL**
Behind Hinoo United School,
New Saket Nagar, Hinoo, Ranchi-834002



1. He/She/They has been enrolled by the **Municipal Commissioner**, Ranchi Municipal Corporation as an **License Engineer**.
2. He/She/They can prepare lay-out or building plans for approval of Municipal Commissioner in accordance with the Ranchi Municipal Corporation Building Bye-laws and Planning standards by the state Govt. as mentioned in the Notification No. 1948 dated 11.08.2009.
3. All Plans prepared by him/her/them should be duly signed and stamped.
4. The Enrollment is issued as per terms & conditions mentioned in the building Bye-laws and Planning Standard's Appendix 'C' of Ranchi Municipal Corporation, Ranchi.
5. License Engineer will have to intimate immediately after He/She enters in any Government Employment.
6. Valid upto 31.12.2017

Santosh. Kumar. Jaiswal.

Full Signature of The ~~Draftsman~~ L.E.

V. Singh
7.2.17
Town Planner,

Ranchi Municipal Corporation,
Ranchi

19
6/2/17

कार्यालय, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची

पत्रांक - 2230.....

दिनांक - 05-7-17.


नवीकरण

तकनीकी विशेषज्ञ निबंधन/अनुज्ञप्ति प्रमाण - पत्र

निबंधन/अनुज्ञप्ति संख्या - ER0034/2013RRDA



प्रमाणित किया जाता है कि श्री संतोष कुमार जायसवाल, पिता/पति - श्री सीताराम जायसवाल पता - मकान सं0- एस-126, प्रथम तल्ला, इंदिरा पैलेश, हिन्, राँची - 2 उनसे प्राप्त आवेदन पर समीक्षोपरान्त निदेशानुसार वर्ष से 2017 (दिनांक - 01-01-2017 से 31.12.1017 तक की अवधि) के लिए राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची के नियंत्रणाधीन क्षेत्र में भवन नक्शा तैयार करने एवं स्वीकृति के लिए जाँचोपरान्त अग्रसारित करने हेतु अभियंता के रूप में निबंधित करते हुए अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाता है। उक्त अनुज्ञप्ति हेतु नवीकरण शुल्क के रूप में कुल ₹ 1000/- (एक हजार) रूपये मात्र नगद या बैंक ड्राफ्ट नं0-.....दिनांक -बैंक/शाखा का नाम.....के माध्यम से प्राधिकार के माध्यम से प्राधिकार रसीद संख्या - 52900 दिनांक -29.12.2016 के द्वारा राशि प्राधिकार को प्राप्त है। उक्त नवीकरण अनुज्ञप्ति की अवधि के समाप्ति के पूर्व ही (दिनांक - से 31.12.2017 तक) नवीकरण हेतु ₹ 1000/- (एक हजार) रूपये मात्र नगद/बैंक ड्राफ्ट के साथ विहित प्रपत्र में आवेदन प्राधिकार में जमा करना अनुज्ञप्तिधारक के लिए अनिवार्य है। अनुज्ञप्ति की अवधि के समाप्ति के पूर्व पुनः नवीकरण हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन जमा नहीं करने पर नवीकरण अनुज्ञप्ति की समाप्ति के बाद में नवीकरण का आवेदन प्राप्त नहीं किया जायेगा तथा फिर से नये सिरे से निबंधन कराना होगा। इसके लिए अनुज्ञप्तिधारक स्वयं जिम्मेवार होंगे तथा भविष्य में इनके विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा।


29/6/17

Santosh Kumar Jaiswal.

तकनीकी विशेषज्ञ का पूर्ण हस्ताक्षर

नगर निवेशक,
राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार,
राँची।